

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक:- F.1(23)/Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2018/ 1144

दिनांक 24/09/18

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या F.1(23)/Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2018/1015 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा फैंकल्टी भर्ती में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व से ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, की नियुक्ति/पदस्थापन उनके नाम के समक्ष अंकित पद पर, अंकित नवीन मेडिकल कॉलेज में किया गया था। इन्हें आदेश में अंकित निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करना था किन्तु उन्हें उनके पूर्व से पदस्थापित स्थान से कार्यमुक्त नहीं करने के कारण कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि चाही गई है।

चूंकि निम्नलिखित अभ्यर्थी पहले से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं अतः इन्हें अपने पूर्व विभाग से कार्यमुक्त होने/अथवा इस आदेश के जारी होने के बाद सात दिवस, जो भी पहले हो तक की कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	विषय	पद	नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1.	Pathology	Senior Demonstrator	Dr. Sarita Chaudhary	Churu
2.	Paediatrics	Assistant Professor	Dr. Kuldeep Singh	Bhilwara
3.	Pharmacology	Assistant Professor	Dr. Jignesh Kumar	Dungarpur
4.	Biochemistry	Senior Demonstrator	Dr. Neha Jaishwal	Churu
5.	Orthopaedics	Assistant Professor	Dr. Pradeep Kumar Sharma	Churu

इनकी नियुक्ति की शेष शर्तें यथावत रहेगीं। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किए जा रहे हैं।

समन्वयक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक:- F.1(23)/Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2018/ 1144

दिनांक 24/09/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरु/डूंगरपुर/बाड़मेर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस, जयपुर।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल से।
6. नोडल अधिकारी, वेबसाइट को लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

समन्वयक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर